न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 15/2019

1. आदित्य पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहमण निवासी राणासर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. सत्यनारायण पुत्र महादेवजाति ब्राहमण निवासी राणासर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–वादीगण

बनाम

1. पवनकुमार पुत्र हजारीलाल
2. बिमल कुमार पुत्र विश्वनाथ
3. सीतादेवी पत्नी विश्वनाथ समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण राणासर तहसील नवलगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादीगण – श्री राजेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रतिवादीगण नं. 1 ल0 3–श्री राजीवसिंह शेखावत
प्रतिवादी नं. 4–राजपैरोकार तहसीलदार नवलगढ

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.11.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रानासर की सरहद में भूमि नई खाता सं0 82 के ख.न. 471/1.21, 539/472/0.23 किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 स्थित है उपरोक्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है जिस पर वादीगण अपने हिस्से पर काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करते हैं। हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है हिस्से बाबत वाद में वादी द्वारा कोई सिद्धि नही चाही गई है। वादी नं.1 का नाम 10वीं अंकतालिका व मूल निवास प्रमाण पत्र जीवन बीमा निगम की पॉलिसी व जीवन आनन्द लाभ पॉलिसी व एसलआईसी व एसबीआई बैंक के खाता, मतदाता पहचान पत्र,राशनकार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स में आदित्य शर्मा का नाम दर्ज है जिसकी पहचान राणासर के सरपंच द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया है कि इसका नाम आदित्य शर्मा ही है व नगरपालिका मुकुन्दगढ द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया है कि इसका नाम आदित्य शर्मा ही है जबकि आदित्य शर्मा को ही घर पर छगनकुमार कहते हे। वादी नं. 1 के सारे शैक्षणिक योग्यता व अन्य दस्तावेजों में नाम आदित्य शर्मा ही है आदित्य शर्मा के पिता हजारी का देहान्त हुआ तब उपरोक्त भूमि का नामा0 सं0 198 दर्ज हुआ तब उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का नाम परिवारवालों ने भूलवश् सहवन से आदित्य शर्मा की जगह छगन कुमार दर्ज हो गया जबकि वादी नं. 1 का वास्तविक नाम आदित्य शर्मा है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेजों में आदित्य शर्मा पुत्र हजारी लाल नाम दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में छगनकुमार पुत्र हजारी लाल दर्ज है जो गलत दर्ज हो जो परिवार वालों की गलती व भूलवश दर्ज हो गया। इसलिये राजस्व रिकार्ड में छगनकुमार पुत्र हजारीलाल के स्थान पर आदित्य शर्मा पुत्र हजारी लाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

इसी प्रकार वादी नं. 2 सत्यनारायण पुत्र महादेव है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 2 के नाम के आगे सतिया शब्द गलती से दर्ज हो गया जो वादी नं. 2 के अन्य सभी दस्तावेजों में सत्यनारायण पुत्र महादेवा दर्ज है उक्त रेवेन्यू रिकार्ड में वादी नं. 2 के नाम के आगे जो सतिया लिखा गया है उसको हटाया जावे व सत्यनारायण ही रखा जावे ऐसी हालत में वादीगण के लिये यह दावा

Scanned by CamScanner

बाबत घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त के लिये वादाधिकार वादीगण द्वारा किसान कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 24.12.2018 को राजस्व रिकार्ड कि नकल ली व गलत रिकार्ड का पता लगनेके रोज पैदा हुआ व इस प्रकार के वाद के लिए खातेदार को हमेशा वादकारण करता है और अदालत बालाल को हम समायत हासिल है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम रानासर की सरहद में भूमि नई खाता सं0 82 के ख. न. 471/1.21, 539/472/0.23 किता 23 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 1 छगनकुमार पुत्र हजारी की जगह वादी नं. 1 का वास्तविक व सही नाम आदित्य शर्मा पुत्र हजारी लाल दर्ज किया जावे तथा वादी नं. 2 के नाम के आगे सतिया शब्द है उसे हजया जावे व वादी नं. 2 का सही नाम सत्यनारायण पुत्र महादेवा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की और से वकील श्री राजीवसिंह का वकालतनामा पेश किया जाकर इकबालिया जबाबदावा पेश किया जाकर वाद वादीगण स्वीकार किया गया तथा वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नही होना अंकित किया गया। प्रतिवादीगण नं. 4 की और से राज पैरोकार उपस्थित तथा जबाब दावा पेश कर वर्णित किया गया कि ग्राम रानासर की भूमि ख.न. 471/1.21, 539/472/0.23 किता 32 कुल रकबा 1.44 है0 में खातेदार छगनकुमार पुत्र हजारी जाति ब्राहमण का हि0 1/6 दर्ज रिकार्ड है खातेदार छगनकुमार पुत्र हजारी जाति ब्राहमण के दस्तावेजों आधार कार्ड ड्राईविंग लाईसेन्स के अनुसार ग्रामीणों से पूछताछ करने पर भी छगनकुमार पुत्र हजारी का सही नाम आदित्य शर्मा पुत्र हजारीलाल होना बताया गया। अतः राजस्व रिकार्ड में छगनकुमार पुत्र हजारी की बजाय आदित्य शर्मा पुत्र हजारीलाल शर्मा किया जाना उचित है।

जबाब दावा प्रस्तुत होने पर शहादत पक्षकारान ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम राणासर संवत 2068–71 के अनुसार भूमि ख.न. 471/1.21, 539/472/0.23 किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 की खातेदारी पवनकुमार छगनकुमार पि0 हजारी सतिया सत्यनारायण पि0 महादेवा बिमलकुमार पुत्र विश्वनाथ सीतादेवी पत्नी स्व0 विश्वनाथ जाति ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है। छाया प्रति आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बॉण्ड एलआईसी, एसबीआई मुकुन्दगढ की पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड ताथा ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में वादी नं. 1 का नाम आदित्य पुत्र हजारीलाल नाम दर्ज है। वकील वादी ने छगन के स्थान पर सही नाम आदित्य करने हेतु निवदेन किया। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम राणासर की भूमि ख.न. 471/1.21, 539/472/0.23 है0 किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 में छगन पिता हजारी के स्थान पर आदित्य पुत्र हजारी लाल दुरूस्त किया जाने के आदेश दिय जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 15/2019 (आदित्य वगैरह बनाम पवन कुमार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.11.2019 निर्णय अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम राणासर की भूमि ख.न. 471/1.21, 539/472/0.23 है0 किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 में छगन पिता हजारी के स्थान पर आदित्य पुत्र हजारी लाल दुरुस्त किया जाने के आदेश दिय जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–........... मुबलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19 माह 11 सन 2019 को जारी की गई।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		2.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.29 18:18:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: